HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12035/2026
CNR: RJHC020723502026 | URN: CRLMB / 22153U / 2026

Nasir Alias Nassi S/o Sher Mohammad, Aged About 30 Years, R/o Hasanpura Bilonda, P.s. Firozpur Jhirka, District Nuh Mewat, Haryana. (At Present Confined In District Jail, Kishangarh Bas).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13572/2026
CNR: RJHC020818502026 | URN: CRLMB / 25104U / 2026

Mubarik @ Lampu S/o Deen Mohammad, Aged About 41 Years, R/o Hasanpur Bilonda, Police Station Firozpur Jhirka, District Nuh Mewat (Haryana) (At Present Accused Petitioner Confined In Central Jail Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Aneesh Khan Mr. Shiv Kumar Jangid Mr. Gurvindra Singh
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

10/09/2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के प्रावधानों के अंतर्गत दो अलग–अलग जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना **नौगावा जिला अलवर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **280/2022** अपराध अंतर्गत धारा 323,

365, 395, 120–बी भारतीय दण्ड संहिता में **जमानत** का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किए गए हैं।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त **नासिर उर्फ नस्सी** का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम एवं पहचान अंकित नहीं की गई है। उनका तर्क है कि उसे अन्य अभियुक्तगण के कहे अनुसार तथा मोबाइल लोकेशन के आधार पर ही अभियुक्त बनाया गया है। उसके विरूद्ध धारा 299 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत आरोप–पत्र पेश हो गया था। गिरफ्तार होने के पश्चात् उसकी पहचान की कार्यवाही करवाई गई है। वह दिनांक 23.06.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का एक आपराधिक प्रकरण धारा 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता का दर्ज रहा है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। उनका यह भी तर्क है कि सहअभियुक्तगण जिनके विरूद्ध पूर्व में आरोप–पत्र प्रस्तुत हो गया था वे सभी जमानत पर मुक्त हैं तथा अभियुक्तगण जिनके विरूद्ध धारा 299 दण्ड प्रक्रिया संहिता में आरोप–पत्र पेश किया गया है, उनमें से अभियुक्तगण साकिर उर्फ काला, आजाद उर्फ अज्जी, मुस्तकीम, सद्दा चारों को विचारण न्यायालय तथा इस न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की राशि की कोई बरामदगी नहीं हुई है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

विद्वान अधिवक्ता **मुबारिक** की ओर से बहस के दौरान मूलतः अभियुक्त नासिर के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों की ही पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 26.07.2026 से अभिरक्षा में है। पहचान की कार्यवाही में उसे गलत रूप से पहचाना गया है। उससे किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं रहा है। अतः उसे जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण ने परिवादी के साथ मारपीट करके बैग में से सत्तर हजार रूपये एवं मोबाइल से 14 हजार रूपये निकालकर लूट की घटना कारित की हैं। प्रार्थीगण पर गम्भीर अपराध के अभियोग हैं। अतः जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि सहअभियुक्तगण साकिर उर्फ काला, आजाद उर्फ अज्जी, मुस्तकीम, सद्दा, मकसूद एवं आजाद उर्फ लाला को पूर्व में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ एवं विचारण न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। एफआईआर में अभियुक्तगण का नाम नहीं है, उनसे पैसों की कोई बरामदगी नहीं हुई है। पहचान परेड की कार्यवाही में अभियुक्त मुबारिक को पहचाना नहीं गया है तथा नासिर की पहचान के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त नासिर दिनांक 23.06.2026 एवं मुबारिक दिनांक 26.07.2026 से अभिरक्षा में हैं। उनके विरूद्ध आरोप–पत्र पेश हो चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। प्रार्थी नासिर के विरूद्ध पूर्व का एक मारपीट का मुकदमा दर्ज है तथा मुबारिक के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों को ध्यान में रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. नासिर उर्फ नस्सी पुत्र शेर मोहम्मद एवं 2. मुबारिक उर्फ लम्बू पुत्र दीन मोहम्मद** की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां** प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(SHUBHA MEHTA),J

47-48/AJAY KUMAR SINGHAL